पत्र संख्या--वि0व0संग्रह-- ब्याज माफी योजना–2021 / 2021–22 / 262 / वाणिज्य कर,
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(संग्रह अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 7 जुलाई, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश।
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (अपील), लखनऊ

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शासन ने वाणिज्य कर के दिनांक 31.12.2020 तक निर्धारित समस्त आदेशों से सृजित मॉग पर लम्बित ब्याज / अर्थदण्ड को माफ किये जाने हेतु ब्याज माफी योजना–2021 दिनांक 03 मार्च, 2021 से तीन माह तक की अवधि तक के लिये लागू की गयी थी, योजना उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम–1948, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम–1956, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम–2008, उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनियम–2007 एवं उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–1979 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली (मनोरंजन कर) तथा उत्तर प्रदेश केबिल टेलीविजन (प्रदर्शन) नियमावली 1997 के लिए लागू की गयी।

कोविड–19 महामारी से उपजी परिस्थितियों के दृष्टिगत शासनादेश 505 / 11–2–2020–9(21) / 2003 दिनांक 31.05.2021 से ब्याज माफी योजना–2021 की समयावधि को 02.09.2021 तक बढाया गया है।

योजना के सफल क्रियान्वयन एवं व्यापारियों को अधिकाधिक लाभ प्रदान करने हेतु मुख्यालय के परिपत्र सं0 894 / 2021051 दिनांक 04.03.2021 द्वारा कार्य योजना / कार्य वितरण से फील्ड को अवगत कराया गया था। उपरोक्त पत्र में समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों के कार्यों को निर्धारित करते हुए प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध अनुश्रवण के निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों के होते हुए भी दिनांक 05.07.2021 तक कुल जमा धनराशि रु0 39.15 करोड है जो निर्धारित लक्ष्य का मात्र 12.63 प्रतिशत ही है। ब्याज माफी योजना–2021 के सम्बन्ध में जोन में व्यापक प्रचार–प्रसार कराते हुए अधिकारीवार वसूली प्रमाण पत्र निकलवा कर, अधिकारी से वार्ता करायें तथा ब्याज माफी योजना–2021 मे लाये जाने का हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित करायें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

7.7.2021
(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि–

1. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / कारपो0), समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0 / क0व0), समस्त असि0कमि0 / वाणिज्य कर अधिकारी (क0नि0) एवं समस्त संग्रह अधीक्षक / पर्यवेक्षक / अमीन को जोनल एडी0कमि0 के कार्यालय के माध्यम से।
2. श्री सुरेश चन्द्र सिंह, असि0कमि0 (मनोरंजन कर), जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि जिला स्तर पर बनायी गयी सूचना सम्बन्धित जोनल एडी0कमि0 ग्रेड–1 वा0क0 को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।

ज्वाइन्ट कमिश्नर (संग्रह), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।